International Journal of Applied Research 2021; 7(10): 230-233

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(10): 230-233
www.allresearchjournal.com
Received: 13-08-2021
Accepted: 15-09-2021

लक्ष्मी कुमारी
शिक्षिका, शोध छात्रा, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार, भारत

Corresponding Author:
लक्ष्मी कुमारी
शिक्षिका, शोध छात्रा, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार, भारत

स्त्री श्रम शक्ति भागीदारी

लक्ष्मी कुमारी

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था ने लैंगिक स्तर पर असमानताओं को जन्म दिया है। श्रम बाजार में लैंगिक समानता होने को सही अर्थशास्त्र माना जाता है। लैंगिक समानता से हीं समाज में सकारात्मक स्थिति बन सकती है और सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति में संतुलन संभव है। लैंगिक समानता से गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या का समाधान स्वाभाविक तौर पर स्वतः बेहतर होना आरम्भ हो जाता है। पूर्ण संभावनाओं की प्राप्ति के लिए देश की आधी आबादी को उत्पादक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहना आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि हमारी सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था पुरूषों के पक्ष में झुका हुआ है।

आर्थिक क्षेत्र में महिलाएँ समान अवसर प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ) के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2019 में कोविड–19 महामारी से पहले भारत में स्त्री श्रम शक्ति की भागीदारी 23.5 प्रतिशत थी। इस महामारी ने इनकी स्थिति को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। पुरूषों की तुलना में अधिक महिलाएं असंगठित क्षेत्र या उन क्षेत्रों में कार्य करती हैं जिनपर इस महामारी का प्रभाव सबसे अधिक हुआ है। इस महामारी ने उनके लिए उपलब्ध अवसरों को सीमित किया है।

ऑक्सफेम की ताजा रिपोर्ट में अमीरी और गरीब के बीच बढ़ती हुई जिस खाई की ओर संकेत किया गया है, उससे पूरी दुनिया में बढ़ती आर्थिक असमानता की तरफ लोगों का ध्यान मुड़ा है। यह सत्य है कि आर्थिक असमानता पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन कुछ सामाजिक वर्गों में बहुत हीं ज्यादा है। इन सामाजिक वर्गों में महिलाएं गरीबी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 153 देशों में भारत इकलौता ऐसा राष्ट्र है जहां राजनैतिक लिंग अंतर की तुलना में आर्थिक लिंग अन्तर ज्यादा है। भारत में 82 प्रतिशत पुरूषों की तुलना में केवल 24 प्रतिशत महिलाएँ हीं कामकाजी हैं।

एन.एस.एस. द्वारा प्रकाशित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी केवल 23.3 प्रतिशत दिखाई गई है। यह बहुत हीं निराशाजनक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 15 वर्ष की आयु से ऊपर की चार में से तीन महिलाएं काम नहीं कर रही हैं और न हीं काम की खोज कर रही हैं। भौगोलिक रूप से बिहार 4.1 प्रतिशत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) के साथ भारत के राज्यों में सबसे नीचे हैं। मेघालय, हिमालय प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम और आंध्रप्रदेश में क्रमशः 51.2 प्रतिशत, 49.6 प्रतिशत, सिक्किम 43.9 प्रतिशत और 42.5 प्रतिशत के साथ महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में सबसे आगे हैं। अतः बिहार की स्थिति बहुत बुरी है।

महिलाओं का घरेलू से व्यावसायिक रोजगारों में स्थानांतरण पूरी दुनिया में आर्थिक विकास की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक रहा है। भारत में इसके ठीक विपरीत स्थिति है। जैसे–जैसे परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरती है, उन परिवारों में महिलाएं आर्थिक गतिविधियों से दूर होती जाती हैं और अपना सारा समय घरेलू कामों में लगाती जाती हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक प्रस्थिति एवं गतिशीलता सीमित हो जाती है। अमूमन यह कहते सुना जाता है कि जब मर्द अच्छा कमा रहा है तो औरतों को घर से निकलने की क्या जरूरत है? गरीब महिलाएं कहती हैं कि मर्द यदि पूरी तरह घर का खर्चा संभालता तो उसे बाहर आने की जरूरत हीं नहीं थी अर्थात् एकमात्र कारण गरीबी हीं है जो औरतों को दूसरे के घर में व कहीं और जाने को विवश करती है। अतएव महिलाएं अपने विकास एवं प्रगति के लिए नहीं वरन् वजूद की लड़ाई के कारण घरों से बाहर काम करने को विवश हैं। यह मानसिकता महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को कम करता है। अतः कुछ ऐसे सामाजिक पहलू हैं जिसके कारण महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बहुत कम हो जाती है। जैसे उत्तर भारत में ऊँची जातियों की महिलाओं का घर में रहना इसी संदर्भ में समझा जा सकता है। कार्य स्थलों पर महिलाओं से बेहतर व्यवहार न होना भी इसका एक बड़ा कारण है।

मजबूरी में हीं महिलाएं घरों से बाहर काम करने जाती हैं। मर्द भी यह पसंद नहीं करते हैं कि उनकी घर की औरतें बाहर काम पर जाएं। इसका परिणाम यह होता है कि कम मजदूरी और कम उत्पादकता वाले कामों में महिलाओं की भारी बहुलता है।

अतः लैंगिक आय असमानता के कारण हीं महिलाएं अपने घरों के कामों में व्यस्त रहती हैं। ये आर्थिक रूप से लाभदायक व्यवसाय में अपनी भागीदारी नहीं बढ़ा पा रही हैं। जो महिलाएं नौकरी करती हैं, वे कुछ खास क्षेत्रों में हीं काम करना पसंद करती हैं। कुछ संस्थागत क्षेत्रों को छोड़कर उन्हें पुरूषों के समान वेतन शायद हीं मिलता है। महिलाओं के बीच क्षेत्रीय विषमता भी है। अर्थात् ग्राम एवं शहर/शहरों की महिलाएं ज्यादा खुशनसीब हैं। जो महिलाएं आय का उपार्जन करती हैं अर्थात् जो आय अर्जित करती हैं उनकी हैसियत घर में बदल जाती है। घर और बाहर दोनों से सम्बन्धित निर्णय में वे सौदेबाजी की शक्ति हासिल कर लेती हैं। गरीबी, शिशु मृत्यु दर, प्रजनन और बाल श्रम में तेजी से कमी आ सकती है, यदि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाय। श्रम बाजार में लैंगिक असमानता अर्थात् महिलाओं की ज्यादा भागीदारी हो जाय तो कई सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याएँ स्वतः समाप्त हो सकती हैं। अतः मानव विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता नितान्त आवश्यक साधन है।

आर्थिक क्षेत्र में यदि महिलाओं को सशक्त बनाया जाये तो गरीबी समाप्त होंगी, लैंगिक समानता दिखेगी और समावेशी आर्थिक विकास की राह सरल हो जायेगी। कई अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि लैंगिक संतुलन होने से आर्थिक परिणाम बेहतर आने आरम्भ हो जाते हैं। इसतरह यह देखा गया है कि कार्यबल समूह में पुरूष और स्त्री कर्मियों की समुचित भागीदारी हो, तो बेहतर परिणाम आना तय है। असफलता की गुंजाइश कम रह जाती है। लेकिन, भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। विश्व बैंक का रिपोर्ट भारत के संदर्भ में यह है– ''भारत में स्त्री श्रम बल की भागीदारी दर अपेक्षाकृत कम है।''

महामारी ने महिलाओं के लिए रोजगार की स्थिति को चिंताजनक बना दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई–सिंबर, 2020 की तिमाही में स्त्री श्रम शक्ति की भागीदारी 16.1 प्रतिशत पहुंच गई थी। सख्त लॉकडाउन के कारण अप्रैल–जून, 2020 तिमाही में यह रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर 15.5 प्रतिशत पर पहुंच गयी थी। भारत में रोजगार से जुड़ी महिलाएं अधिकांशतः कौशल से दूर हैं। ये महिलाएं अमूमन खेती, कारखानों एवं घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं। दुर्भाग्य से इन क्षेत्रों पर महामारी की सर्वाधिक मार पड़ी है। महिलाओं की रोजगार में भागीदारी दर में लगातार गिरावट जारी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विकास का लाभ पुरूषों एवं स्त्रियों को कभी समान रूप से नहीं प्राप्त हो सका है। महामारी के वजह से असंगठित क्षेत्र में रोजगार की कमी हुयी और परिणामस्वरूप महिलाएं रोजगार की परिधि से गायब हो गयी। संगठित क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी की स्थिति चिंताजनक है। चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया और बांग्लादेश आदि देशों में यह स्थिति भारत से दो से तीन गुना बेहतर है। इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर से तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो वैश्विक औसत 47 प्रतिशत है जबकि भारत की स्थिति आधी भी नहीं हैं अर्थात् केवल 20.00 प्रतिशत ही महिला श्रम बल भागीदारी है। यह स्थिति यह दर्शाता है कि भारत में महिलाओं को कामकाज की स्वतंत्रता और प्रगति के लिए अभी लम्बा सफर तय करना है। महिलाएं यदि आत्मनिर्भर होती हैं तो वे किसी भी संकट का सामना करने में स्वयं सक्षम होंगी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में अगर विवेकपूर्ण निवेश किया जाय, तो लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन और समावेशी आर्थिक विकास का सीधा रास्ता तय किया जा सकता है।

हमारा देश पितृसत्तात्मक है। सन्तान का तात्पर्य है– पुत्र। बेटी के बारे में कहा जाता है कि विवाह के बाद ये अपने घर चली जायेगी। अतएव परिवार की प्राथमिकता में पुत्र है। मान लिया जाय कि एक परिवार के पास संसाधन कम है तो ऐसी स्थिति में शिक्षा पर खर्च में परिवार पुत्र को प्राथमिकता प्रदान करता है। इस प्राथमिकता के भेदभाव में लड़कियां श्रमशक्ति में पीछे छूट जाती हैं। अर्थात् महिलाओं का श्रम बाजार में भागीदारी कम हो जायेगी। प्राइवेट कम्पनियों के नियोक्ता महिलाओं को रोजगार देने से बचते हैं क्योंकि उन्हें मातृत्व लाभ जैसे प्रावधानों का कार्यान्वयन करना होगा। महिला श्रम बल के लिए नियोक्ता को संरचनात्मक सुधार करना पड़ेगा। परिणामस्वरूप स्त्री श्रम शक्ति की भागीदारी कम हो जाती है। नगरों में कार्य स्थान पर बढ़ते यौन शोषण व यौन उत्पीड़न स्त्री श्रम बल में भागीदारी को हतोत्साहित करते हैं। आधुनिक समाज में महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, फलस्वरूप ऐसी महिलाओं का श्रम बाजार में प्रवेश विलंब से होता है। स्वाभाविक है कि स्त्री श्रम शक्ति की भागीदारी प्रभावित होगी। परिवार में महिलाओं को उच्च उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होता है। भारत में प्रचलित मानदंडों के अनुसार महिलाओं से परिवार और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी लेने की अपेक्षा की जाती है। इस रूढ़िवादिता के कारण महिलाओं को कार्य के लिए समय निकाल पाने हेतु लगातार संघर्ष करना पड़ता है। परिणामस्वरूप महिलाओं का श्रम बाजार में भागीदारी कम हो जाती है। कृषि में मशीनीकरण के कारण भी इनकी भागीदारी प्रभावित हुई है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की मजदूरी कम होने के कारण भी महिलाएं कार्यबल से बाहर हो गयी हैं। गांवों में श्रम शक्ति की भागीदारी घटने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि पुरूषों का शहरों की ओर पलायन से कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम हुई है। इसतरह अपने देश की आधी आबादी को अर्थात् स्त्री श्रम शक्ति की भागीदारी इन उपर्युक्त कारणों से प्रभावित हुई हैं।

आई.एल.ओ. के अनुसार, कोविड–19 महामारी के कारण वैश्विक महिला रोजगार 19.0 प्रतिशत हीं रही है। ऐसी स्थिति ने पुरूषों की तुलना में महिलाओं के लिए बेरोजगारी के दर को बढ़ाया है। विश्व आर्थिक मंच (डब्लू.इ.एफ) के वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक (जो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में मौजूद अंतराल को मापता है) के अनुसार इस वर्ष भारत 112वें स्थान पर पहुंच गया, क्योंकि लगभग 70 लाख महिलाओं को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है।

इसतरह भारत में स्त्री, श्रम शक्ति की सहभागिता दर में काफी गिरावट देखी जा सकती है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में महिला श्रम बल सहभागिता दर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। वर्ष 2011–12 के 37.8 प्रतिशत से घटकर 2017–18 में 26.6 प्रतिशत रही है। इसी अवधि में शहरी क्षेत्रों में यह दर 22.2 से बढ़कर 22.3 प्रतिशत हो गई। एन.एस.ओ. के नवीनत आंकड़ों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, वह यह बताता है कि महिला श्रम बल सहभागिता दर में गिरावट का रूख है। काम करने की आयु 15–59 वर्ष माना जाता है। इसे उत्पादकता आयु समूह कहते हैं। महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर 2011–12 से 2017–18 के बीच 7.8 प्रतिशत की कमी आयी थी और यह 33.1 प्रतिशत से घटकर 25. 3 प्रतिशत रह गई है। आज कोविड–19 के कारण पुरूषों के ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ प्रवास से ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्त्रियों के कार्यबल में कमी व गिरावट देखी गई।

भारत में महिलाएं पुरूषों की तुलना में औसतन 20.7 फीसदी तक कम वेतन पाती हैं। हलांकि महिलाओं की समस्या सिर्फ रोजगार पाने तक ही सीमित नहीं है। इनकी पहुंच अच्छे रोजगार तक नहीं हो पाती है। यहां ये पुरूषों से पिछड़ जाती हैं।

महिलाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या असुरक्षा की है। इसके अतिरिक्त इन्हें गरीबी की मार झेलनी पड़ती है। कई रोजगार ऐसे हैं, जैसे महिला कृषक मजदूर इन्हें पुरूषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है। एक सबसे बुरी स्थिति यह है कि इन्हें जमीनी मालिकाना अधिकार से वंचित रखा जाता है। महिलाओं

को समान अवसर, समान मजदूरी व वेतन, काम की सुरक्षा ना प्रदान कर पाना, यह हमारी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विफलता दर्शाती है। इतना ही नहीं महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा, भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। काम और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच भी सामंजस्य बैठाना भी आसान काम नहीं होता है। महिलाएं अवैतनिक कामों का बोझ भी उठाती हैं। कोविड बंद के दौरान इन्हें अधिक से अधिक घरेलू कामों से भी जूझना पड़ा है। कोविड–19 के दौरान बढ़ती घरेलू हिंसा महिलाओं के लिए अभिशाप बनकर आया। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सुरक्षात्मक उपाय के तहत करोड़ों लोग घरों में कैद रहने को विवश हो गए। लेकिन इसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले काफी बढ़े हैं। महिलाएं लॉकडाउन के खत्म होने का इंतजार कर रही हैं ताकि उनका पति पहले की तरह दस घंटा काम पर रहे।

कई अध्ययनों का यह निष्कर्ष है कि इस एक साल में 15–49 आयु वर्ग की 29.3 करोड़ महिलाएं और लड़कियां अपने पार्टनर से यौन और शारीरिक हिंसा की शिकार हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक फुमजिले क्लाम्बोन्गुका द्वारा 6 अप्रैल 2020 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह बताया गया है और इसकी पुष्टि की गई है। कोविड–19 के संक्रमण के दौरान जो घरेलू हिंसा बढ़ी तो उसका आर्थिक प्रभाव भी सामने आ रहा है। भारत में घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी की बात राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी स्वीकार करती हैं। इनका कहना है कि ऑनलाइन शिकायतें उन्हें मिल रही हैं। घरेलू हिंसा के मामले में काफी वृद्धि हुई हैं, लेकिन कितनी वृद्धि हुई है, इसे बताना संभव नहीं है।

समाज मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण घर पर रहने की वजह से पुरूष अपनी कुंठा महिलाओं पर निकालते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा यह बताती हैं कि उनके रिकॉर्ड में कुछ पुराने मामले हैं जिन्होंने लम्बे समय से कोई शिकायत नहीं की थी, लॉकडाउन के दौरान उनके पास फिर से उनकी शिकायतें आयी हैं। अतएव इन्होंने स्पष्टतः यह बताया है कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने घरेलू हिंसा के मामले में वृद्धि देखी है।

महिला अधिकारों के लिए काम कर रहे कई संगठनों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण महिलाएं हिंसा का शिकार हो रही हैं। इस अवधि में मर्द के शराब पीने की लत में वृद्धि हुई है। इसकी परिणति झगड़ा–झंझट एवं हिंसा में हुयी है।

मजदूर वर्ग के घरों में पेट भरने की चुनौती है। उसकी कमाई बंद है। घर का शराबी मर्द घरों का सामान बेचकर शराब पीता है और महिलाएं उनकी हिंसा का शिकार बनाती हैं। निश्चित तौर पर यह असहनीय स्थिति है। इस वैश्विक महामारी के कारण उन महिलाओं के लिए और भी कठिन समय आ गया है जो अपने घरों की चारदीवारों के अंदर लगातार हिंसा का सामना कर रही हैं।

इसप्रकार यह पाया गया है कि शराब के कारण घरेलू हिंसा के मामले में वृद्धि हो रही है। लॉकडाउन के बाद ज्यादातर घरों में शराब की खपत बढ़ गई है। मर्द आमदनी बंद होने की हताशा को अपने घर की महिलाओं पर निकालता है। आसपास के लोग केवल देखते हैं, लेकिन पुरूष अपने पड़ोसी महिला की मदद करने नहीं जाता है।

अध्ययन के दौरान यह बात भी सामने आयी है कि महिलाएं जो पहले घरेलू या अन्य काम करने जाती थी, अब वह अपने हीं घरों में अपने मर्द के साथ कैद है। महिलाओं का कहना है कि मद को केवल सेक्स चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। मना करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है।

गर्भ निरोधकों की कमी के कारण अवांछित गर्भ के मामले भी बढ़े हैं। बाहर आना–जाना बन्द होने से गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल कम हो गया। परिणामतः विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अनचाहे गर्भ के मामले बढ़े हैं।

महिलाएं पारिवारिक इज्जत के कारण थाना पुलिस के बजाय हिंसा बर्दाश्त करना बेहतर समझती हैं। ज्यादातर महिलाएं अपनी पति की ओर से यौन हिंसा का सामना करती हैं।

कोविड–19 ने सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को और गंभीर बना दिया है। कोविड वायरस के कारण शिक्षा के केन्द्र बन्द हो गए हैं। कॉलेज एवं विद्यालय जाकर प्राप्त करने वाली शिक्षा अवरूद्ध हो गई है। महिलाओं का पिछड़ना तय हो गया है। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए समाज को प्रगतिशील एवं जागरूक होना होगा। बिना समाज के सहयोग के इनकी पिछड़ी स्थिति को बेहतर करना नामुमकीन है।

हमारे देश की अर्थव्यवस्था में आधी आबादी के समान रूप से भाग न लेने के कारण उत्पादकता लाभ के मामले में हम बहुत कुछ खो रहे हैं। हमारे देश की आधी आबादी नवाचार और उद्यमशीलता के लाभ से वंचित हैं और गैर–पारिश्रमिक, कम उत्पादक और गैर–आर्थिक गतिविधियों तक सीमित है तो ऐसी स्थिति में हमारा देश विकसित कैसे होगा? कारण स्पष्ट है कि हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अतः आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना होगा, तभी हम पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाने में समर्थ हो पाएंगे। ऐसा होने से विकास के सही स्तर को स्पर्श किया जा सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करने के लिए सरकार और नागरिक दोनों के साझा मजबूत प्रयास की जरूरत है। ऐसा होने से महिलाएं इस आर्थिक सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत में स्त्री श्रम शक्ति की भागीदारी में रूकावट करने वाले कारणों को समाप्त करने की जरूरत है। ऐसा पहल होने से भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाएं पुरूषों के समक्ष पहुंच सकती है और जीडीपी में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है।

कामकाज के क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी में कई दशकों से कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। हमारे समाज की उन्नति का अंदाजा इसी पहलू से लगाया जा सकता है। महिलाएं वंचित वर्ग की स्थिति में हैं। ऐसी स्थिति में हम सम्पूर्ण विकास की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। स्त्री श्रम शक्ति भागीदारी के सन्दर्भ में कई रिपोर्ट्स हैं जो महिलाओं की दुर्दशा की कहानी बयां करती हैं। वैसे महिलाओं के लिए समाज के नियम कभी भी आसान नहीं थे। आज कोविड–19 महामारी ने महिलाओं के समक्ष चुनौतियों का अंबार खड़ा कर दिया है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं अर्थात् दिहाड़ी महिला मजदूर, मनरेगा में काम करने वाली महिला श्रमिक, घरों में काम करने वाली महिला कामगारों का एक बहुत बड़ा समुदाय है जो कई गम्भीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में 15 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर 24.5 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत बढ़कर 30 प्रतिशत हो गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में महिला श्रमिकों की संख्या में वित्त वर्ष 2018–19 की तुलना में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। महिला श्रमिकों की संख्या में यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब देश में बेरोजगारी दर अपने अवस्था पर थी और यह तीव्रता से बढ़ भी रही थी। वहीं देश की अर्थव्यवस्था भी कोरोना महामारी की चपेट में थी और विकास दर में लगातार गिरावट आ रही थी। इसके संबंध में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें अधिक नौकरी मिली है, बल्कि इस सर्वेक्षण में कामकाजी महिलाओं का डेटा अच्छी तरह से दर्ज किया गया है। श्रम शक्ति में महिलाओं की सबसे अच्छी रिकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर–पूर्व के कुछ पहाड़ी राज्यों में थी। सबसे ज्यादा अंडर रिपोर्टिंग बिहार, उत्तरप्रदेश और हरियाणा की

है। दुकानों में काम करने वाली महिलाओं की गणना श्रम बल में नहीं की जा रही थी जबकि विभिन्न तरह के दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में महिलाओं के काम करने की संख्या पहले से बहुत बढ़ी है। इनकी गणना से स्त्री श्रम शक्ति भागीदारी स्वाभाविक तौर पर बढ़ जाती है।

हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, हरियाणा एवं बिहार में क्रमशः 65 प्रतिशत, 53.1 प्रतिशत, 17.7 प्रतिशत, 15.7 प्रतिशत एवं 9.5 प्रतिशत राज्यों का प्रदर्शन स्त्री श्रम शक्ति भागीदारी दर की रिकॉर्डिंग हुई है।

15 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं का श्रम शक्ति भागीदार दर बढ़ा है। श्रम बल में 30.70 करोड़ पुरूष और 11.98 करोड़ महिलाएं शामिल हैं।

भारत की महिलाओं ने पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इन सबके बावजूद भी इनकी श्रम में भागीदारी अच्छी नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे निचले स्थान पर है। यही कारण है कि इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें यह बताया गया है कि महिलाओं को केवल घरेलू कामकाज तक सीमित बताया गया है। लगभग यह स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी बताई गई है। यही है भारतीय महिलाओं की सच्चाई। यह लैंगिक असमानता को दर्शाता है। आईएलओ की रिपोर्ट में लैंगिक अनुपात के बीच बढ़ते गैप को समाज में समानता को बढ़ावा देने वाले प्रगतिशील सामाजिक मानदंडों के लिए अच्छा संकेत नहीं माना गया है। लैंगिक असमानता सांस्कृतिक प्रतिरोध के कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और खराब है। बेहतर स्थिति बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी सक्षम घरेलू सदस्यों को सक्रिय आर्थिक गतिविधि में शामिल होना पड़ेगा।

आईएलओ रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारतीय महिलाएं अपने समय का काफी हिस्सा ऐसे कार्यों में देती है, जिन्हें काम की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इनके काम को काम नहीं समझा जाता है वरन् महज उनके कर्तव्यों का विस्तार मान लिया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कठिन परिश्रम भी अवैतनिक है। ये अवैतनिक श्रम के बोझ से दबी हुई है। यहाँ तक कि कृषि के क्षेत्र में भी जो कार्य करती हैं, वह अवैतनिक है। इन्हें अवैतनिक देखभालकर्ता की जिम्मेवारी निभानी पड़ती है।

भारत की स्त्री श्रम शक्ति भागीदारी दर लगातार घट रही है। यह चिंताजनक है। विश्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि महिला श्रम शक्ति भागीदारी 2019 में घटकर 21 प्रतिशत हो गया, जो 2005 में 31.79 प्रतिशत था।

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर अखिल भारतीय औसत की तुलना में कम थी। बिहार के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 6.4 प्रतिशत एवं 3.9 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत थीं जबकि अखिल भारतीय आंकड़े क्रमशः 20.4 प्रतिशत और 24.6 प्रतिशत थे।

महिलाओं का कार्य मुख्यतः अवैतनिक है। दूसरी बात यह है कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को अवरूद्ध करने में जाति एक सामाजिक बाधा के रूप में है। इसे नजरन्दाज नहीं किया जा सकता है। पितृसत्तात्मक नियंत्रण एवं लैंगिक भेदभाव को केवल सरकारी हस्तक्षेप से समाप्त नहीं किया जा सकता है।

राज्य की कल्याणकारी योजनाएं उन्हें चुनौती देने में काफी मददगार साबित हो रही है। बिहार सरकार महिला और पुरूष विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने की दिशा में काम कर रही है। इसके अतिरिक्त आरक्षण जैसे पहल भी की गई है, बिहार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे बिहार पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है। 2013 में, बिहार सरकार ने सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 50.00 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 35.00 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं। पुलिस विभाग में महिला अधिकारियों की संख्या 2020 में 25.3 प्रतिशत हो गई, जो 2015 में 3.3 प्रतिशत से राष्ट्रीय औसत 10.3 प्रतिशत से दोगुना से अधिक है। 2016 में, सरकार ने 35.00 प्रतिशत आरक्षण बढ़ा दिया है। महिलाओं के लिए बिहार में सभी सरकारी नौकरियों के लिए सीधी भर्ती की जाती है। बिहार सरकार को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि महिलाएं श्रम बाजार से बाहर न हों। इसके लिए विभिन्न विभागों में लंबित रिक्तियों को भरकर किया जा सकता है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को पुरूषों के स्तर तक बढ़ाने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। इस आलोक में महिलाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना सरकार के लिए जरूरी है।

संदर्भ सूची

1. रेखा शर्मा, कार्यस्थल और घर पर समानता, योजना, दिसंबर, 2020
2. प्रमोद जोशी, आत्मनिर्भर भारत के लिए महिला सशक्तीकरण, कुरूक्षेत्र, फरवरी, 2021
3. प्रो0 अलका जैन एवं डा0 अर्चना शर्मा, गांवों में रोजगार सुलभ साधनः मनरेगा, कुरूक्षेत्र, फरवरी, 2013
4. सिद्धार्थ झा, महिलाओं की सुरक्षा उच्च प्राथमिकता, कुरूक्षेत्र, फरवरी, 2018
5. अरविन्द कुमार सिंह, मनरेगा से गांवों का कायाकल्प, कुरूक्षेत्र, जुलाई, 2021
6. डिसूजा ए. (2000), घरेलू कामगारों के लिए अच्छे काम की ओर बढ़नाः प्स् के काम का अवलोकन वर्किंग 2/2010 पीजी.
7. उद्धृत जमुना प्रसाद, लैंगिक विषमता के कारण, विद्या मंच, पूर्वोक्त, मार्च,2001
8. सहगल सुभाषिनी अली, आधे दुनिया पर बाजार का अत्याचार, दैनिक जागरण, बरेली, 13 जून, 2012